न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113 / 2021	2021 / 54	19.02.2021	29.08.2022

उनवान प्रकरण

1. लालचन्द पुत्र सुरजाराम आयु 51 वर्ष
2. गोपाल पुत्र सुरजाराम आयु 54 वर्ष
3. प्रेम देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप आयु 55 वर्ष
4. टीना पुत्री स्व. रामस्वरूप आयु 21 वर्ष
5. रीना पुत्री स्व. रामस्वरूप आयु 21 वर्ष
6. प्रिया पुत्री स्व. रामस्वरूप आयु 13 वर्ष

वादीयागण नम्बर 5 व 6 नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता प्रेम देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप

समस्त जाति मीणा निवासीगण पावर हाउस के पास जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सीकर

वादीगण

बनाम

1. बिरदी देवी पत्नी कालुराम आयु 65 वर्ष
2. अशोक कुमार पुत्र कालुराम आयु 37 वर्ष
3. रोशनलाल पुत्र कालुराम आयु 35 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4. रेखा देवी पुत्री कालुराम आयु 32 वर्ष

5. मुकेश कुमार पुत्र कालुराम आयु 30 वर्ष

6. भागीरथ पुत्र सुरजाराम आयु 70 वर्ष

7. मूलाराम पुत्र सुरजाराम आयु 68 वर्ष
समस्त जाति मीणा निवासीगण पावर हाऊस के पास जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---प्रतिवादीगण

9. कमलेश देवी पुत्री स्व. रामस्वरूप पत्नि अशोक कुमार आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी पावर हाऊस के पास जयरामपुरा तहसील खण्डेला हाल अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

10. प्रियंका देवी पुत्री स्व. रामस्रूप पत्नी सुरेन्द्र आयु 25 वर्ष जाति मीणा निवासी पावर हाऊस के पास जयराभपुरा तहसील खण्डेला हाल अमरपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर (राज0)

11. संजु पुत्री स्व. रामस्रूप आयु 20 वर्ष जाति मीणा निवासी पावर हाऊस के पास जयरामपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री रणवीर सिंह शेखावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7,

श्री भारत भूषण सामोता, एड़0 प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11,

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से

वादपत्र बाबत उद्घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अंतर्गत

धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

28/8/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 920, 923, 924 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में आवस्थित है। जो प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। जो कतई गलत अकिंत चला आ रहा है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.0200 हैक्टर ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है जिसमें भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकोर्ड में 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जो कतई गलत चला आ रहा है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 920, 923, 924 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा जो वादीगण नम्बर 1 ता 2 के हिस्से में 1/3 ,1/3 एंव शेष 1/3 हिस्सा वादीया नम्बर 3 ता 6 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 के हक हिस्से में आई हुयी हैं। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.0200 है0 ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा जो वादीगण नम्बर 1 ता 2 के हिस्से में 1/6, 1/6 एंव शेष 1/6 हिस्सा वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नम्बर 3 ता 6 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 के हक हिस्से में आयी हुयी है । जिस पर वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण मय परिवार काबिज काश्त होकर पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार पशुधन सहित काबिज एंव आबाद है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के हिस्से में कल्याणपुरा में अवस्थित भूमि आयी हुयी है व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के हिस्से में जयरामपुरा में जो भूमियां हैं व उनके हिस्से में आयी हुयी है। उक्त भूमियों में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पारिवारिक सैटलमेन्ट में वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण के हिस्से में आयी हुई है एंव काफी समय से वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण ही उक्त भूमियों पर काबिज काश्त व आबाद है व अपने पुख्ता मकानात बनाकर रिहायश करते है व उक्त भूमियों में ट्यूबवैल लगाकर उक्त भूमियों की सिंचाई कर अपनी उदरपूर्ति कर रहे है। उक्त भूमियों में अपने पशु मवेशियान रखते है। वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण के कब्जा काश्त व पारिवारिक बंटवारा में आयी उक्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता एंव प्रतिवादीगण नम्बर 6 व 7 के नाम से होने से वादीगण अपनी उक्त भूमियो का भली भांति रूप से विकास नहीं कर पा रहे है व सरकारी सुविधाओं से वचिंत हो रहें है। इसलिए वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपनी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण ने प्रतिवादीगण को अपनी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम करवाने के लिए बार – बार कहते रहे व वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण को प्रतिवादीगण उनकी उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण के नाम करवाने का काफी समय से आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 12[illegible] को प्रतिवादीगण ने वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण की उक्त भूमियों [illegible] वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के नाम से स्पष्ट मना कर दिया व वादीगण एंव तरतीब प्रतिवादीयागण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये। वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। जमीनों की बढती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है एंव प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है एंव प्रतिवादीगण, वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये है व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमियों को बेचान करने के लिए लाते है एवं प्रतिवादीगण, वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है व वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से फरमाया जाना न्यायोचित होगा। वाद कारण दिनांक 12.02.2021 प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 द्वारा वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण के नाम खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने व वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व वादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीयागण को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बेचान करने, रहन रखने तथा भूमियो को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भुमि से अकृषि में तब्दील करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा है। **इसलिए दावा पेश करने बहवः वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा न्यायालय में पेश कर बयान करवाया है तथा प्रतिवादी सं. 8

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 11 की ओर से श्री भारत भूषण सामोता एड0 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। साक्ष्य वादीगण में वादी गोपाल का व वादी साक्ष्य गवाहान् में हरिओम व रामसिंह के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में जरिये राजीनामा व इकबाली जवाब दावा के द्वारा वादपत्र में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 920, 923, 924 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.0200 हैक्टर ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 7 के नाम राजस्व रिकोर्ड में 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार व खानदान से है। उक्त भूमियों में से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में ग्राम कल्याणपुरा में स्थित भूमियॉ तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 के हिस्से में ग्राम जयरामपुरा में स्थित भूमियॉ आना प्रकट होता है। उक्त भूमियों का पक्षकारान् के मध्य आपस में पारिवारिक सैटलमेंट में अलग–अलग भूमियॉ आना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। [illegible] प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर [illegible] वाद पत्र को स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा, इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 920, 923, 924 कुल किता 3 कुल रकबा 2.33 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में सम्पूर्ण का वादी नम्बर 1 को 1/3 हिस्सा का एंव वादी नम्बर 2 को 1/3 हिस्सा का एंव वादिया नम्बर 3 लगायत 6 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 9 लगायत 11 को 1/3 हिस्से का एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.0200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का एंव वादी नम्बर 2 को 1/6 हिस्से का एंव वादीया नम्बर 3 ता 6 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्से की भूमियों से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 का नाम एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पति व पिता कालूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने हेतु वादपत्र को बरूए इकबाली जवाब दावा एंव राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उदघोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती राजस्व रिका[illegible]ा कृषि भूमि खसरा नम्बर 920, 923, 924 कुल किता 3 कुल [illegible] 2.33 हैक्टर [illegible] ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में सम्पूर्ण का वादी नम्बर 1 को 1/3 हिस्सा का एंव वादी नम्बर 2 को 1/3 हिस्सा का एंव वादिया नम्बर 3 लगायत 6 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 9 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:12 IST
Reason: SelfAttested

23/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी ...धोपुर

11 को 1/3 हिस्से का एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 921 रकबा 0.0200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में वादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का एंव वादी नम्बर 2 को 1/6 हिस्से का एंव वादीया नम्बर 3 ता 6 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 11 को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से की भूमियों से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 का नाम एंव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के मृत्तक पति व पिता कालूराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/08/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:21 IST
Reason: SelfAttested